

3530

हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 8-08-2018

Order

Sub :- Diversion of 0.044 ha of forest land in favour of Panchayati Raj Department for the construction of Panchayat Ghar at Bir, within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/09/60/2017/FC/791** dated 18-07-18 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.044 ha हैक्टेयर वन भूमि को Panchayati Raj Department, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- प्रयोक्ता ऐजेंसी से प्राप्त धनराशि से वन विभाग द्वारा guideline para 3.2(viii)(b) के अन्तर्गत प्रस्ताव के अनुसार 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवम् 7-10 वर्षों तक रख-रखाव किया जाएगा।
- एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जायेगी।
- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
- भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना layout plan नहीं बदला जाएगा।
- प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी/ प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।
- परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

Contd./2

S/FC A

16/8

APCCF(FCA)

2

Date

- 14 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 15 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।


उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 8-08-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Distt., Mandi, Himachal Pradesh
6. DFO Mandi Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. The Director Panchayat Raj, SDA Complex, New Shimla, HP.
8. Guard File.


(Sat Pal Dhiman) 8-8-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

5

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

2343
File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 8-08-2018

Order

Sub :- Diversion of 0.35 ha of forest land in favour of Health Department of HP for the construction of Primary Health Centre Building at Baridhar, within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB/35/2012-CHA/835 dated 20-07-18** के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.35** हैक्टेयर वन भूमि को **Health Department**, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **53A/13/S.E., DPF Barnala of Drang Forest Range** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल **0.70** है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 6 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जायेगी।
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा
- 9 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 9 trees, 49 saplings and one Bamboo having 30 clumps से अधिक न हो।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

8(FCA
16/8
APCCF(FCA)
2

Contd./2

- 13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 8-08-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Distt., Mandi, Himachal Pradesh
6. DFO Mandi Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. The Chief Medical Officer Mandi, Distt. Mandi HP.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhillon) 8-8-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

3106

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 8-08-2018

Order

Sub :- Diversion of 0.7609 hectares of Additional forest land in favour of M/s Himachal Baspa Power Company Ltd. for the construction of 1000 MW Karcham Wangtoo HEP.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र एफ.नो. 8-05/2002-FC(Vol. IV) दिनांक 12.07.18 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.7609 hectares of Additional forest land को M/s Himachal Baspa Power Company Ltd. को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करती है।

- 1 Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.
- 2 The State Forest Department shall ensure Compensatory Afforestation on identified 6 ha degraded forest land, which includes penal CA, within a period of three years with effect from the date of issue of Stage-II clearance and maintained thereafter as per approved plan from the funds of Rs. 13,20,606/- deposited in Ad-hoc CAMPA account by the user agency.
- 3 The State Forest Department shall ensure that the User Agency shall pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.
- 4 The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;
- 5 The State Forest Department shall ensure that no labour camp shall be established on the forest land.
- 6 The State Forest Department shall ensure that the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
- 7 The State Forest Department shall ensure that the layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.
- 8 The State Forest Department shall ensure that the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

Contd./-

S.F.C.A.
16/8
A.P.C.F.(FCA)

2
P.C.F.

- 9 The State Forest Department shall ensure that the forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.
- 10 The State Forest Department shall ensure that no damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
- 11 The State Forest Department in consultation with User Agency shall ensure to carry out afforestation along the periphery of the reservoir and canals.
- 12 The State Forest Department shall ensure that the User Agency shall implement the approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan at the project cost.
- 13 The State Forest Department shall ensure that the User Agency shall provide free water for the forestry related projects.
- 14 The State Forest Department shall ensure that the User Agency shall comply the other standard conditions as applicable to proposals relating to Hydro Electric Project.
- 15 The State Forest Department shall ensure that the User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions and also to the conditions stipulated in Stage-I Clearance for which undertakings are given by the project proponent, to the State Forest Department, concerned Regional Office of the Ministry and this Ministry by the end of March every year regularly.
- 16 Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection, development of forest & wildlife, and any condition stipulated in NBWL.
- 17 The User Agency and the State Forest Department shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.
- 18 A lease- deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector- cum- Deputy Commissioner, District Kinnaur, H.P.


उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 8-08-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Distt., Kinnaur, Himachal Pradesh
6. DFO Kinnaur Forest Division, Distt., Kinnaur H.P.
7. M/s Himachal Baspa Power Company Ltd.,
8. Guard File.


(Sat Pal Dhiman) 8-8-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 8-08-2018

Order

Sub :- Diversion of 0.3923 ha of forest land in favour of Smt. Ruma Devi, Prop Ruma Stone Crusher, Village Parchu, PO Sajaopiplu, Tehsil Sarkaghat, District Mandi for stacking of raw material in respect of already established Stone Crusher within the jurisdiction of Jogindernagar Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HPB/09/57/2016/2167 dated 14-03-17 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.3923 हेक्टेयर वन भूमि को Smt. Ruma Devi, Prop Ruma Stone Crusher, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 3 प्रयोक्ता ऐजेंसी से प्राप्त धनराशि से वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों के रोपण एवम् 07-10 वर्षों तक रख-रखाव किया जाएगा।
- 4 Nodal Officer-cum-CCF(FCA) vide his office letter No. Ft.48-2561/2012(FCA) dated 11-07-2018 has informed that stipulation No. 4 imposed by MoEF&CC, GoI vide above referred letter has been complied.
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 6 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 7 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 9 प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 11 The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.
- 12 The renewal period of diversion of the said forest land under this aproval shall be for a period co-terminous with the period of mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 or Rules framed there under.

Contd./2

S/FCA
16/8
ASCCF(FCA)
2

- 13 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 14 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 15 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
- 16 A lease- deed of the above diverted forest land shall be executed by the User Agency with the State Industries Department Himachal Pradesh.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 8-08-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Distt., Mandi, Himachal Pradesh
6. The Director, Industries Department, Udyog Bhawan, Bamloe Shimla, HP
7. DFO Jogindernagar Forest Division, Distt., Mandi H.P.
8. M/s Ruma Stone Crusher, Village Parchu, PO Sanjaopiplu, Tehsil Sarkaghat, distt. Mandi, HP.
9. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 8-8-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.